

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

ओमप्रकाश

बनाम

रामप्रताप आदि

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 532 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
25.11.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.12.2024 को पेश हो।</p> <p>or</p> <p>कृपया पत्रावली पत्रावली/PU मध्ये प्रवेश करके मोबा. 8140000000 पर पत्रावली दिनांक 21.12.2024 का पत्र पेश करें - smvli</p>	
5.2.2025	<p>वकील वादी ने पत्रावली पत्र भिजवा कर फेसी पेश करने पर प्रवादी को फेसी में लिखा गया वकील वादी ने डिपेंडन डिपेंडन वाद-पत्र में राजीनामा होने के कारण वाद का आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा सिविल में पत्रावली करवाना चाहते हैं। इत. वाद-पत्र मौजूदा सिविल में पत्रावली किया जाता है। पत्रावली नाम से नाम की जाकर वाद तब तक चलता जाया दाखिल रफ्तार हो।</p> <p>or</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>मिलने के कारण राजीनामा होने के कारण पत्रावली चलाना नहीं चाहते। अति-भोगप्रदा</p> <p>identified</p> <p>राजनीनामा</p> <p>जज</p>

